

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 23 / 2025

दायर दिनांक : 26 / 05 / 2025

निर्णय दिनांक : 11 / 06 / 2025

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र जालम जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पिता लक्ष्मण बैरागी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. बंशीदास पिता हीरा बैरागी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. किशोर पिता रूपा नायक निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. रंगलाल पिता रामेश्वर नायक निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. भैरू पिता रामेश्वर नायक निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6. प्रभुदास पिता लच्छीराम वैष्णव निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7. शंकर पिता मेघा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
8. गुणेश पिता घीसा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
9. किशन पिता भगवान मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
10. वरदी बेवा रामा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
11. तुलसीराम पिता गंगाराम यादव निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
12. भंवरलाल पिता गंगाराम यादव निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
13. बाबूलाल यादव निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
14. मोहन पिता वरदा जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
15. परसराम पिता वरदा जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
16. गंगाराम पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
17. कैलाशीबाई पुत्री सूरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
18. शंकरलाल पिता सूरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
19. सुरेशचन्द्र पुत्र सूरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
20. भोवनी पत्नी सूरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेंड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। भू.अ.निरीक्षक, आकोला को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम की आ.सं. 2418 रकबा 0.34, आ.सं. 2421 रकबा 0.09, आ.सं. 2422 रकबा 0.09, आ.सं. 2446 रकबा 0.08, आ.सं. 2447 रकबा 0.06, आ.सं. 2447 रकबा 0.06, आ.सं. 2449 रकबा 0.41, आ.सं. 2450 रकबा 0.95, आ.सं. 2451 रकबा 0.40, आ.सं. 2452 रकबा 0.37, आ.सं. 2453 रकबा 0.36, आ.सं. 2454 रकबा 0.38, आ.सं. 2455 रकबा 0.25, आ.सं. 2479 रकबा 1.91, आ.सं. 2480 रकबा 0.66, आ.सं. 2481 रकबा 0.99, आ.सं. 2482**



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

रकबा 1.58, आ.सं. 2990/2480 रकबा 0.02 किता 18 रकबा 9.07 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
~~सहायक कलक्टर~~ एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर